



2026:AHC:53741

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2573 सन् 2026

दानिश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: डॉ. कमलेश कुमार, राकेश कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 18/2026, बी.एन.एस., 2023 की धारा 69, 351(1), 61(2) के अंतर्गत, थाना - अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में, विचारण की समाप्ति तक आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ, आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहता है:-
 - i. आवेदक ने कभी भी पीड़िता से शादी का कोई वादा नहीं किया।
 - ii. पीड़ित एक विवाहित महिला है; अतः विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया जा सकता ।
 - iii. पीड़ित दो बच्चों की माँ है तथा अमरोहा में अलग रहती थी। आवेदक भी उसी भवन में किरायेदार था।
 - iv. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़ित के कथन से यह स्वीकृत है कि पीड़ित और आवेदक एक-दूसरे के निकट आए, तथा आवेदक ने पीड़ित से विवाह की इच्छा व्यक्त की, जो स्वयं यह इंगित करता है कि आवेदक पीड़ित की वैवाहिक स्थिति से अनभिज्ञ था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v. आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि आवेदक वर्तमान मामले में मुख्य अभियुक्त है तथा उसने विवाह का झूठा वादा किया था। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक ने पीड़ित को उसके छायाचित्र वायरल करने की धमकी दी थी। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस बात का खंडन नहीं करते कि आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब के साथ दर्ज की गई है। कथित घटना 28.11.2025 से 03.12.2025 के बीच घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.01.2026 को दर्ज की गई। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित पीड़ित के कथन से यह स्पष्ट है कि उसके पति मुंबई में निवास करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से वह अपने बच्चों के साथ अमरोहा में किराए के आवास में रह रही है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिए गए कथन में यह स्वीकृत है कि आवेदक, जो उसी भवन में किरायेदार भी था, पीड़ित के साथ घनिष्ठ संबंध में आया। जाँच में यह सामने नहीं आया कि पीड़ित ने अपने पति को तलाक दिया था। ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत नहीं होता कि विवाह का झूठा वादा किया गया था।

7. उपरोक्त सभी उल्लिखित कारकों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - दानिश की गिरफ्तारी की दशा में, उसे तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की, संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक/संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक जब भी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, पूछताछ हेतु स्वयं उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अभिमत केवल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय हेतु है और प्रकरण के गुण-दोष पर मत नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

17 मार्च, 2026

कुशल